सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011
दूरभाष : (0755) 2768390, 92, 94, 95, फैक्स : (0755) 5272644

क्र./एजूकेशन पोर्टल/2010/286 भोपाल, दि: 11.1.10

प्रति,

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
2. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी विकास,
3. समस्त जिला परियोजना समन्वयक
4. समस्त विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयंक
5. समस्त आहरण संवितरण अधिकारी (स्कूल शिक्षा एवं आदिवासी विकास)

विषयः एजूकेशन पोर्टल के माध्यम से आनलाईन ई–सेवा पुस्तिका तैयार करने के संबंध में।

संदर्भ : आयुक्त, लोक शिक्षण, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा आयुक्त, आदिवासी विकास के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी निर्देश क्र. 6637, दि. 16.09.09।

उक्त संदर्भित पत्र के अनुसार ई–सेवा पुस्तिका तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये थे। वर्तमान स्थिति में लगभग 1.35 लाख सेवा पुस्तिकाएँ पंजीकृत हो चुकी है। इन सेवा पुस्तिका में संपूर्ण जानकारियों की प्रविष्टि एवं दस्तावेजों के अपलोड होने का कार्य शेष है। उक्त पंजीकृत सेवा पुस्तिकाओं को संकुल प्राचार्य के द्वारा संस्था मे उपलब्ध संसाधनो की मदद से पूर्ण कराया जावे, सुविधा उपलब्ध नही होने की स्थिति मे आवश्यकतानुसार स्थानीय बी.आर.सी. कार्यालय में उपलब्ध आपरेटर के माध्यम से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। समस्त प्रविष्टियों के पूर्ण होने पर उसका सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रविष्टि महत्वपूर्ण जानकारियों की रिपोर्ट तथा भौतिक रूप से सेवा पुस्तिका में दर्ज जानकारी से मिलान कर सक्षम अधिकारी को जारी पास वर्ड के आधार पर जारी किया जायेगा।

शेष सेवा पुस्तिकाओं के कम्प्यूटरीकरण हेतु एन.आई.सी. द्वारा कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) को आवंटित पासवर्ड के माध्यम से किया जावेगा, जिससे CSC द्वारा दर्ज की गई सेवा पुस्तिकाओं की संख्या का विवरण देखा जा सकता है। कॉमन सर्विस सेन्टर CSC के माध्यम से शिक्षकों की ई–सेवा पुस्तिका की जानकारी की संपूर्ण प्रविष्टि एवं समस्त निर्धारित दस्तावेज स्केन करते हुए अपलोड करने तथा उसका सत्यापन सक्षम अधिकारी से कराने के कार्य की संशोधित दरें मध्यप्रदेश शासन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

- शहरी क्षेत्र में संचालित कियोस्क में रूपये 32/– प्रति एक एच.आर. एम.आई.एस. रिकार्ड हेतु,
- ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कियोस्क में रूपये 33/– प्रति एक एच.आर. एम.आई.एस. रिकार्ड हेतु,

पुर्व में पोर्टल में निम्नलिखित अभिलेखों के अपलोड करने की सुविधा थी :–

- जन्मतिथि प्रमाण
- प्रथम नियुक्ति आदेश
- नामिनेशन से संबधित डाक्यूमेन्ट
- सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ जिसमें घोषणा पत्र है
- पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ

उक्त अभिलेखों के अतिरिक्त निम्नलिखित अभिलेखों को भी अपलोड किया जाना है :–

- सेवा पुस्तिका का द्वितीय पृष्ठ
- विशेष इंकीमेंट आदेश
- वर्तमान पदस्थापना आदेश

आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि उनके अंतर्गत आने वाले शिक्षकों तथा कर्मियों की सेवा पुस्तिका की सही–सही जानकारी की प्रविष्ट संस्था के स्थापना लिपिक के द्वारा CSC केन्द्र पर जाकर CSC प्रभारी के माध्यम से पोर्टल में दर्ज करायी जावे। अभिलेखो के स्केनिंग एवं अपलोड करने में निम्नलिखित बातो का विशेष ध्यान रखा जाय :–

1. स्केनिग मूल दस्तावेजो से की जावें 2. स्केनिग की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जावें

पोर्टल में दर्ज प्रविष्टियों के सत्यापन एवं डॉटा एन्ट्री के भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

- शिक्षको / कर्मचारियो की प्रमुख महत्वपूर्ण बिन्दुओं (जन्मतिथि, प्रथम नियुक्ति तिथि / पद, पदोन्नति तिथि / पद) पर प्रविष्ट जानकारी की रिपोर्ट तथा भौतिक रूप से उपलब्ध सेवा पुस्तिकाओं के आधार पर ऑनलाइन रुप से CSC प्रभारी की मदद से दर्ज जानकारी का सत्यापन (Verification) संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। सक्षम अधिकारी से तात्पर्य उस अधिकारी से है, जो कि सेवा पुस्तिका को अद्यतन रखने के लिये अधिकृत है तथा जिसका यह दायित्व है।
- CSC के द्वारा पूर्ण रूप से दर्ज प्रविष्टियों वाली सेवा पुस्तिकाओं की संख्या तथा संकुल प्राचार्य / डी.डी.ओ की प्रमाणित रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्तानुसार देय राशि का 80% का भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के द्वारा किया जावे।
- सेवा पुस्तिकाओं के डिजिटाइजेशन के शेष 20% के भुगतान की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित की गई सेवा पुस्तिकाओं की संख्या के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विकास के द्वारा किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन उन्हें पृथक से आवंटित पासवर्ड के आधार पर किया जाएगा।
- उपरोक्त निर्धारित दरों एवं प्रक्रिया अनुसार राशि भुगतान हेतु आदेश पृथक से जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार भुगतान उन्ही प्रविष्टियों के लिए CSC को किया जावेगा जिनकी प्रविष्टियां उनके द्वारा उनको आवंटित पासवर्ड का उपयोग करते हुए पूर्णतः उन्हीं के द्वारा की गयी हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें पृथक से आवंटित पासवर्ड के माध्यम से अंतिम रूप से सत्यापित करवायी जा चुकी है।

सेवा पुस्तिकाओं के ऑनलाइन करने के कार्य को एक अभियान के रूप में पूर्ण कराया जाए तथा समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि यह कार्य 25 जनवरी 2010 तक पूर्ण हो जाए। यह एक एतिहासिक कार्य होगा एवं इससे स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मियों के स्वत्वों का त्वरित एवं समय पर निराकरण संभव होगा तथा राज्य शासन के प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर नियोजन करना संभव होगा।

(मनोज झालानी)
आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र एवं
सचिव, स्कूल शिक्षा

पृ.क्र. / एजूकेशन पोर्टल / 2010 / 287 भोपाल, दि.: 11.1.10

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री / राज्य मंत्री, म.प्र. भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग भोपाल।
4. सचिव, म.प्र. शासन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग भोपाल।
5. आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण म.प्र. भोपाल।
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल।
8. राज्य सूचना एंव विज्ञान अधिकारी NIC म.प्र. भोपाल।
9. प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी. की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रदेश के एम.पी.ऑनलाइन / CSC केन्द्रों को समय–सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
10. कलेक्टर समस्त जिले की ओर सूचनार्थ।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ।
12. उपायुक्त आदिवासी विकास संभागीय कार्यालय समस्त।
13. संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय लोक शिक्षण समस्त।
14. www.educationportal.mp.gov.in सर्व शिक्षा अभियान www.ssa.mp.gov.in/Circulars.htm, http://sednmp.nic.in एवं www.mp.gov.in/tribal पर अपलोड करने हेतु।

(हस्ताक्षर)

आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र एवं
सचिव, स्कूल शिक्षा